

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट खोह)

वाद संख्या :- 02/183/2013

राधेश्याम बनाम भैरू
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 21.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट खोह पर पेश हुई। पत्रावली का अपलोड किया गया। प्रकरण में दिनांक 29.07.2013 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 76/1.33 है। वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ में वकील प्रार्थी एक पक्ष में सुना जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषधाज्ञा जारी नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। परन्तु प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण की तामील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस प्रस्तुत कर पालना नहीं की गई। प्रकरण इस न्यायाल में वर्ष 2013 से विचाराधीन है तथा प्रार्थी द्वारा तामील की पालना हेतु रजिस्टर्ड नोटिस बार बार अवसर के बाद भी पेश नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 76/1.33 है। वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 कैम्प कोर्ट खोह पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट खोह)